न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

// प्रेस विज्ञप्ति //

क्रमांक/ 436/ अ.वि.अ./ वा./ 2020 सक्ती, दिनांक 17/03/2020

एतद् द्वारा आम जनता मौजा सक्ती, प.ह.नं. 22, रा.नि.मं. व तहसील सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को सूचित किया जाता है कि छ.ग. राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्र. एफ-4-7/ सात/ 2019 नवा रायपुर, दिनांक 11/09/2019 में दिये गये निर्देश के तारतम्य में नगरीय क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमि के आबंटन के समय राज्य शासन से भूमिस्वामी हक में भूमि प्राप्त करने हेतु प्रचलित गाईड-लाईन दर पर बाजार मूल्य का 102 प्रतिशत राशि जमा करने पर भूमिस्वामी हक में दर्ज करने हेतु नगर सक्ती में स्थित शासकीय रिक्त भूमि के संबंध में जिला जांजगीर-चांपा के वेबसाईट में प्रकाशन एवं दिनांक 03/03/2020 को दैनिक समाचार पत्रों में ईशतहार जारी किया गया था. उक्त ईशतहार उपरांत अग्रीम कार्यवाही करते हुए शासन के निर्देशानुसार निम्नलिखित भूखंडों के नीलामी की कार्यवाही की जानी है. -

क्र.	शीट नंबर/ ख.नं.	प्लाट नंबर	नीलामी हेतु प्रस्तावित भूखंडों की संख्या	प्रस्तावित भूखण्ड का कुल रकबा (वर्गफीट में)	प्रति वर्ग फीट भूखण्ड का मूल्य(रु.में)	संपूर्ण भूखण्ड का बाजार मूल्य	102 प्रतिशत बाजार मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15 ए	1	4	7000	1301.00	9107000.00	9289140.00
2	16 एबीसी	15	2	5172	651.00	3366972.00	3434311.44
3	49	22	13	30549	651.00	19887399.00	20285146.00
4	256/1, 2, 3, 4	-	3	7410	1015.00	7521150.00	7671573.00
5	15 बी	1	7	1540	1419.00	2185260.00	2228965.20

उक्त शासकीय प्लाट की नीलामी की कार्यवाही दिनांक **26/03/2020** को प्रातः 11 बजे से अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती के कार्यालय में संपन्न की जावेगी. सभी भूखंड की विस्तृत जानकारी/ प्लाटिंग की जानकारी तहसील कार्यालय सक्ती एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है.

नीलामी कार्यवाही में शामिल होने के लिये पात्रता :-

1. नीलामी की कार्यवाही में केवल वही आवेदक भाग ले सकते है, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत किया हो.
2. ईच्छुक व्यक्ति के द्वारा चाही गई प्लाट के नीलामी में भाग लेने हेतु भूखंड के लिये निर्धारित आफसेट मूल्य का 10 प्रतिशत की राशि, प्रतिभूति राशि के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (रा.)सक्ती के नाम से चेक के माध्यम से दिनांक 18/03/2020 से 24/03/2020 तक जमा करना अनिवार्य है.

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सक्ती